रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 322] नई दिल्ली, रविवार, नवम्बर 30, 1975/अग्रहायण 9, 1897
No. 322] NEW DELHI, SUNDAY, NOVEMBER 30, 1975/AGRAHAYANA 9, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 1975

G.S.R. 572(E).—The following Proclamation by the President is published for general information:

Whereas I, Fakhruddin Ali Ahmed, President of India have received a report from the Governor of the State of Uttar Pradesh and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I—

(a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State;

(b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and

(c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely:—

(i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;

(ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely:—

so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;

so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the report submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India;

articles 163 and 164;

so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State;

article 167;

so much of clause (i) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of the State;

clause (1) of article 174;

articles 175, 176 and 177;

clause (c) of article 179 and the first proviso thereto;

article 181;

clause (c) of article 183 and the proviso thereto;

articles 185, 188, 189, 193, 194 and 196 to 198 (both inclusive);

clauses (3) and (4) of article 199;

articles 208 to 211 (both inclusive);

the proviso to clause (1), and the proviso to clause (3), of article 213; and

so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;

(iii) any reference in the Constitution to the Governor shall in relation to the said State be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State or the Houses thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, the reference in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State or the Houses thereof, shall be construed as references to the President and to Parliament or to the Houses thereof respectively:

Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Govenor of the said State;

(iv) any reference in the Constitution to Acts or laws of or made by the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution and the United Provinces General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904), and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the State.

NEW DELHI; FAKHRUDDIN ALI AHMED,

The 30th November, 1975. *President.*

[No. F. V/11013/14/UP/75-S&P(DV)]

NEW DELHI; S. L. KHURANA, Secy.

The 30th November, 1975.

ORDER

New Delhi, the 30th November, 1975

G.S.R. 573(E).—The following Order by the President is published for general information:

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this the 30th day of November, 1975 by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Uttar Pradesh and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

NEW DELHI; FAKHRUDDIN ALI AHMED,

The 30th November, 1975. *President.*

NEW DELHI; S. L. KHURANA, Secy.

The 30th November, 1975.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, नवम्बर 30, 1975

सा० का० नि० 572 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्नलिखित उद्घोषणा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है :—

अतः मुझे, भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, और इस रिपोर्ट तथा मुझे प्राप्त अन्य सूचना पर विचार करने के बाद मेरा समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें उस राज्य का शासन भारत के संविधान (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संविधान" कहा गया है) के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है ;

अतः अब मैं, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा उद्घोषणा करता हूं कि मैं :—

(क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित, तथा उनके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के रूप में स्वयं संभालता हूं ;

(ख) घोषित करता हूं कि उक्त राज्य के विधान मंडल की शक्तियां संसद् द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी ; और

(ग) निम्नलिखित आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध करता हूं जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए मुझे आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते हैं ; अर्थात् :—

(i) इस उद्घोषणा के उपर्युक्त खंड (क) के आधार पर मेरे द्वारा संभाले गए कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करने में, मेरे लिये भारत के राष्ट्रपति के रूप में उस सीमा तक जिस तक मैं ठीक समझूं उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर्ण होगा ;

(ii) उक्त राज्य के संबंध में संविधान के निम्नलिखित उपबन्धों के प्रवर्तन को एतद्द्वारा निलंबित किया जाता है, अर्थात् :—

अनुच्छेद 3 के परन्तुक का उतना भाग जितने का संबंध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान मंडल का निदेश करने से है ;

अनुच्छेद 151 के खंड (2) का उतना भाग जितने का संबंध भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रतिवेदनों को राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है ;

अनुच्छेद 163 और 164 ;

अनुच्छेद 166 के खंड (3) का उतना भाग जितने का संबंध राज्य सरकार के कार्य के मंत्रियों के बीच बटवारे से है ;

अनुच्छेद 167 ;

अनुच्छेद 169 के खंड (i) का उतना भाग जितने का संबंध राज्य की विधान सभा द्वारा संकल्प पारित किए जाने से है ;

अनुच्छेद 174 का खंड (1) ;

अनुच्छेद 175, 176 और 177 ;

अनुच्छेद 179 का खंड (ग) और उसका प्रथम परन्तुक ;

अनुच्छेद 181 ;

अनुच्छेद 183 का खंड (ग) और उसका परन्तुक ;

अनुच्छेद 185, 188, 189, 193, 194 और 196 से 198 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) ;

अनुच्छेद 199 के खंड (3) और (4) ;

अनुच्छेद 208 से 211 तक (जिसमें यें दोनों सम्मिलित हैं) ;

अनुच्छेद 213 के खंड (1) का परन्तुक और खंड (3) का परन्तुक ; और

अनुच्छेद 323 के खंड (2) का उतना भाग जितने का संबंध ज्ञापन सहित रिपोर्ट के राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है ;

(iii) संविधान में राज्यपाल के प्रति किसी निदेश का अर्थ उस राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के प्रति निदेश लगाया जायेगा और उस में राज्य के विधान मंडल या विधान सभा के प्रति किसी निदेश का, जहां तक उसका संबंध

उसके कृत्यों और उसकी शक्तियों से है, अर्थ, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, संसद् के प्रति निदेश लगाया जाएगा और विशिष्टतया अनुच्छेद 213 में राज्यपाल और राज्य के विधान मंडल या उसके सदनों के प्रति निदेश का अर्थ क्रमश:

राष्ट्रपति और संसद् या उसके सदनों के प्रति निदेश लगाया जायेगा ;

परन्तु इसमें की कोई बात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 से लेकर अनुच्छेद 159 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं), अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा द्वितीय अनुसूची के पैरा 1 से लेकर पैरा 4 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेगी और न राष्ट्रपति को उस खंड के उपखंड (i) के अधीन उस सीमा तक जहां तक वह ठीक समझे उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित करेगी;

(iv) संविधान में राज्य के विधान मंडल के या उसके द्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निदेश का ऐसे अर्थ लगाया जायेगा माना वह उन अधिनियमों और विधियों को भी समाविष्ट करता है जो इस उद्घोषणा के आधार पर संसद् द्वारा या राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (1) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं और संयुक्त प्रान्त सामान्य खंड अधिनियम 1904 (1904 का यू० पी० अधिनियम सं० 1) और सामान्य खड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) का उतना भाग जितना राज्य की विधियों पर लागू है ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में इस प्रकार प्रभावी होगा मानों यह उस राज्य के विधान मंडल का अधिनियम हो ।

नई दिल्ली :
30 नवम्बर, 1975

फखरुद्दीन अली अहमद,
राष्ट्रपति ।

नई दिल्ली :
30 नवम्बर, 1975

सुन्दर लाल खुराना,
सचिव ।

आदेश

नई दिल्ली 30 नवम्बर, 1975

सा० का० नि० 573 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा आज नवम्बर, 1975 के 30वें दिन जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (i) का अनुसरण करते हुए मैं एतद्द्वारा निदेश देता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सभी कृत्य और संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रवत किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा के खंड (क) के आधार पर स्वयं संभाल लिया है, राष्ट्रपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी ।

नई दिल्ली :
30 नवम्बर, 1975

फखरुद्दीन अली अहमद,
राष्ट्रपति ।

नई दिल्ली :
30 नवम्बर, 1975

सुन्दर लाल खुराना,
सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975